भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 236
सोमवार, 5 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक)

ईएसआईसी में अधिकारियों की नियुक्ति हेतु मानदंड

236. श्री गजानन कीर्तिकर

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में नियुक्तियों के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ईएसआईसी के कई उच्च अधिकारी कई वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) किसी स्थान पर किसी अधिकारी की तैनाती और एक निश्चित अवधि के बाद उस स्थान से इसके स्थानांतरण के सम्बन्ध में निर्धारित नीति/दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ड़): कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 की धारा 17(2)(क) के अनुसार, "निगम के कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तों की पद्धति ऐसी होगी जैसा कि केंद्र सरकार के संबंधित वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नियमों और आदेशों के अनुसार निगम द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए।"

उपरोक्त धारा में प्रदत्त शक्ति के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी और सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 को अधिसूचित किया था, जिसे अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी और सेवा की शर्तें) विनियम, 2023 द्वारा अधिक्रमित किया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम को उक्त धारा की उप-धारा (2) और उप-धारा (2क) के खंड (xxi) तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 17 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 97 की उपधारा (1) के अनुसार भर्ती विनियम बनाने का भी अधिकार प्रदान किया गया है।

जारी/2---

उपर्युक्त उपबंधों के अनुसरण में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पदों के भर्ती विनियम समय-समय पर अधिसूचित किए जाते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पदों पर नियुक्ति संबंधित पद के भर्ती विनियमों में निर्धारित उपबंधों के अनुसार की जाती है।

उच्च अधिकारियों (प्रशासन संबंधी समूह क स्तर के अधिकारी) के संबंध में स्थानांतरण नीति और प्रशासनिक आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए नियमित अंतरालों पर किए जाते हैं।

मौजूदा स्थानांतरण नीति के अनुसार, उच्च अधिकारियों के वार्षिक सामान्य स्थानांतरण निर्धारित कार्यकाल के साथ प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को एक तैनाती पर पूरे किए गए कार्यकाल के आधार पर किए जाते हैं:

1. दिल्ली एनसीआर स्टेशन के लिए अधिकतम कार्यकाल (पोस्टिंग की अवधि) 9 वर्ष है और अन्य स्टेशनों के लिए 7 वर्ष है।
2. कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्यकाल (पोस्टिंग की अवधि) 3 वर्ष के लिए निर्धारित है।
3. किसी चिकित्सा संस्थान में डीन और चिकित्सा अधीक्षक के पदों पर पोस्टिंग के लिए सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष का होगा जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट कारणों के साथ दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थानांतरित किए गए वरिष्ठ अधिकारियों (प्रशासन और चिकित्सा प्रशासन संबंधी समूह 'क' स्तर के अधिकारियों) का ब्यौरा:

क्र.सं.	अवधि	प्रशासन संबंधी समूह क स्तर के अधिकारी	चिकित्सा प्रशासन संबंधी समूह 'क' स्तर के अधिकारी
1.	2019	83	08
2.	2020	29	23
3.	2021	41	07
4.	2022	119	29
5.	2023	227	08

****